न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 141/2022 बउनवानी नेहा जांगिड बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार मलारना डूँगर पुत्री मदन लाल जांगिड निवासी मलारना डूँगर

GCMS No-2022/231

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
15.12.2022	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मलारना डूँगर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 30.9.2022 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मलारना डूँगर के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः– 1. तहसील मुख्यालय मलारना डूँगर के क्षेत्राधिकार अन्तर्गत प्रशासन आपके द्वार अभियान, 2004 मे आयोजित केम्प शिविर मे प्रार्थीया नेहा जांगिड पुत्री मदन लाल जांगिड निवासी मलारना डूँगर का ओ.बी.सी. अन्य पिछडा वर्ग का जारी प्रमाण पत्र जिसके डिस्पेज क्रमांक 748 दिनांक 15.12.2004 की प्रमाणित प्रति एवं जाति प्रमाण पत्र बनाते समय प्रस्तुत किये गये समस्त दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति। 2. तहसील मलारना डूँगर के क्षेत्राधिकार मे प्रशासन आपके द्वारा अभियान,2004 मे आयोजित कैम्प मे प्रार्थीया नेहा जांगिड पुत्री मदन लाल जांगिड ग्राम व पोस्ट मलारना डूँगर का मूल निवासी प्रमाण पत्र जारी किया गया है जिसका डिस्पेच क्रमांक 818 दिनांक 15.12.2004 की प्रमाणित प्रति मय संलग्न दस्तावेजो की प्रमाणित प्रति। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मलारना डूँगर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मलारना डूँगर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी। नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने कथन किया कि लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मलारना डूँगर के जवाब नोटिस क्रमांक रीडर/सू0अधि0/22/1148 दिनांक 15.12.2022 से अवगत कराया कि अपीलान्ट द्वारा चाही गयी सूचना से संबंधित रिकार्ड दिनांक 24.1.2019 को पुराने रिकार्ड के कमरे मे आग लग जाने के कारण जलकर नष्ट हो चुका है इसलिए वांछित सूचना उपलब्ध करवाया जाना सम्भव नही है। उक्त संबंध में जरिये पत्रांक 1147 दिनांक 15.12.2022 से अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया। पैरोकार द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि लोक सूचना अधिकारी ने अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 30.9.2022 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 लगायत 2 मे चाही गयी सूचना से संबंधित रिकार्ड दिनांक 24.1.2019 को जलकर नष्ट होना बताते हुए वांछित सूचना उपलब्ध करवाया जाना असम्भव बताया गया है। अतः लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 24.1.2019 को जलकर नष्ट हुए रिकार्ड के संबंध मे दर्ज करवायी गयी प्रथ[illegible]रा वांछित सूचना से संबंधित रिकार्ड उक्त आगजनी मे जलकर नष्ट हो जाने से संब[illegible]/रिकार्ड (आग मे जलकर नष्ट हुऐ रिकार्ड की सूची) की सूची अपीलान्ट को [illegible] जावे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है। पत्र[illegible] फैसल शुमार होकर [illegible] से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया। (सुरेश कुमार ओला) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.03.17 17:41:17 IST
Reason: SelfAttested